दिनांक 02.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 02/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 1275/-रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02.11.2024 को थाना चन्दौसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करेली की मढ़ैया चौराहा के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शौकीन उर्फ शानू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 1275/-रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल व बदायूं के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1-शौकीन उर्फ शानू निवासी वारिसनगर थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूॅं।

बरामदगी

1–चोरी के 1275/–रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना सिकन्दरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 71 हजार 300 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 02.11.2024 को थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरिवंशपुर मोड़ के पास से अभियुक्त नितिन कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 71 हजार 300 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 27.10.2024 को थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन कुमार निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–लूट के 71 हजार 300 रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 02 सिलिंग फैन, 02 गैस सिलेन्डर, 01 घड़ी, 01 लैपटॉप बैग**
- **चोरी के कपड़े, वर्तन, अन्य सामान आदि बरामद**

दिनॉकः 02.11.2024 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अतुल कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 सिलिंग फैन, 02 गैस सिलेन्डर, 01 घड़ी, 01 लैपटॉप बैग, चोरी के कपड़े, वर्तन, अन्य सामान आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01.11.2024 को थाना सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद सामान उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अतुल कुमार निवासी नसीरपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—चोरी की 02 सिलिंग फैन, 02 गैस सिलेन्डर, 01 घड़ी, 01 लैपटॉप बैग।

2—चोरी के कपड़े, वर्तन, अन्य सामान आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 118 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनॉकः 01.11.2024 की रात्रि थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त वरूण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 118 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वरूण निवासी बैंक कालोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–01 किलो 118 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद भदोही (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद भदोही पुलिस ने अभियुक्त 1–सर्वजीत उर्फ छोटेलाल पुत्र स्व0 अमरनाथ 2–लल्लू कुमार उर्फ इंद्रजीत पुत्र स्व0 अमरनाथ निवासीगण ग्राम दयाराम डेहरिया थाना गोपीगंज जनपद भदोही द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एसटीएफः थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0–439/2022 व मु0अ0सं0–20/2023 में फरार/वांछित अभियुक्त जनपद देवरिया से गिरफ्तार।

दिनांक 02–11–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0–439/2022 धारा 461/379 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0–20/2023 धारा 395/397 भा0द0वि0 में फरार/वांछित अभियुक्त को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1— महेश महतो कामरेड पुत्र बंगाली महतो, निवासी ग्राम पिरौना, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार।

<u>बरामदगीः</u>

1— 01 अदद मोबाइल फोन की—पैड।

2— रूपया 16,400/— नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः</u>

मालगोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास, थाना कोतवाली देवरिया, जनपद देवरिया। दिनांक 02—11—2024, समय लगभग 16:45 बजे।

थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0—439/2022 धारा 461/379 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0—20/2023 धारा 395/397 भा0द0वि0 में फरार/वांछित अभियुक्त महेश महतो कामरेड की गिरफ्तारी हेतु बिहार एस0टी0एफ0 (एस0ओ0जी0 03 पटना बिहार) द्वारा गोरखपुर एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया था, जिसपर श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री सत्य प्रकाश सिंह निरीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 02—11—2024 को निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, हे0कां0 अभिलाष कुमार तिवारी, हे0कां0 चन्द्रभूषण सिंह, हे0कां0 गुंजन कुमार सिंह, हे0कां0 गौरव प्रताप सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर एवं निरीक्षक बैजनाथ कुमार, उ0नि0 पंकज यादव, स0उ0नि0 मनीष कुमार, जे0सी0 विमलेश कुमार, चालक जे0सी0 अरविन्द कुमार बिहार एस0टी0एफ0 (एस0ओ0जी0 03 पटना बिहार) की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में फरार/वांछित अभियुक्त महेश महतो कामरेड मालगोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ, उ0प्र0 की टीम व बिहार एस0टी0एफ0 टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए फरार/वांछित अभियुक्त को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त महेश महतो कामरेड ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का 8 लोगों का गैंग था। हम लोगों को जिस घर में डकैती डालनी होती थी उस घर या स्वर्ण/आभूषण की दुकान की पहले रेकी करते थे, रेकी करने के बाद शटर तोड़ने वाला औजार लेकर और सरिया डंडा लेकर डकैती डालते थे। वर्ष 2022 थाना बखरी और वर्ष 2023 में थाना मझौल क्षेत्र में लाखों की डकैती डाले थे। गैंग के अन्य सदस्यों के पकड़े

जाने के बाद जनपद देवरिया में छिपकर रह रहा था एवं रेलवे मालगोदाम देवरिया में लेबर का काम कर रहा था। इसके और इसके गैंग के अन्य सदस्यों के द्वारा कारित की गयी अन्य घटनाओं के बारे में एस0टी0एफ0 बिहार द्वारा अलग से विस्तृत पूछताछ की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली देवरिया, जनपद देवरिया में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही बिहार एसटीएफ द्वारा की जाएगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	36 / 2010	25(1–बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट	बिथन	समस्तीपुर बिहार
2.	107 / 2013	395 भा0द0वि0	गढ़पुरा	बेगुसराय बिहार
3.	98 / 2022	461 / 379 भा0द0वि0	नयागांव	बेगुसराय बिहार
4.	439 / 2022	461 / 379 भा0द0वि0	बखरी	बेगुसराय बिहार
5.	16 / 2023	461 / 379 भा0द0वि0	समस्तीपुर	समस्तीपुर बिहार
6.	20 / 2023	395 / 397 भा0द0वि0	मझौल	बेगुसराय बिहार
7.	39 / 2023	461 / 379 भा0द0वि0	तिघरा	बेगुसराय बिहार

एसटीएफः लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना एवं थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135 / 2024 में वांछित रू0 50,000 / –रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक : 02–11–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना एवं थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135 / 2024 धारा 310(2), 317(2), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस में वाँछित रू0 50,000 / –रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि सिंह उर्फ राम समुझ उर्फ शेर सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> :–

रवि सिंह उर्फ राम समुझ उर्फ शैष सिंह पुत्र महेष सिंह निवासीग्राम जमालापुर, थाना रामपुर, जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u> :–

1. एक अदद आधार कार्ड।
2. दो अदद एटीएम कार्ड (यूनियन बैंक)।
3. एक अदद पैनकार्ड।
4. एक अदद डीएल।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u> :–

शिवसतपुल थानाक्षेत्र दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़। दिनांकः 02–11–2024 समयः 16.10 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री विनय तिवारी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, अजय सिंह यादव, संतोष कुमार व आरक्षी किशन चन्द्र, आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम दि0 02–11–2024 को जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देष्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि दिनांकः 28–07–2024 को थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 135/2024 धाराः 140(4), 309(4)/123 बीएनएस पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचनोपरान्त अभियोग में उक्त धारा का लोप करते हुए जुर्म धाराः 310(2), 317(2), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस का अपराध होना पाया गया, जिसमें यह वांछित था तथा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। यह अपराधी शिवसतपुल थानाक्षेत्र दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त रवि सिंह उर्फ राम समुझ उर्फ शैष सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि ट्रक यूपी–96–टी–1675 का चालक/वाहन स्वामी मो0 इरफान पुत्र मो0 इलियास निवासीग्राम कुटिलिया साड़देयी, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने ट्रक पर एफ0सी0आई0 मार्का की लगभग 500 गेहूँ की बोरी को लोडकर हैदराबाद प्रान्त ले जाना था, परन्तु उक्त वाहन चालक/स्वामी एवं मैं तथा मेरे बहनोई कुलदीप सिंह पुत्र कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना निवासीग्राम गोपालापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ एवम उनके मित्र बंटी तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासीग्राम सुभाषपुर पाली, थाना मडियाहूँ,जनपद जौनपुर, इम्तियाज उर्फ कल्लू पुत्र मोहसिन निवासीग्राम कुटिलिया, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, बृजेष उर्फ पिन्टू शर्मा पुत्र दयाषंकर शर्मा निवासीग्राम मिसिद्दीपुर, थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ व शमशाद पुत्र मुस्तफा उर्फ कुचुरी

निवासीग्राम मुन्नी का पुरवा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ वर्तमान पता पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आपस में मिलकर षड़यन्त्र कर गेहूँ की बोरियों को गबन करने की योजना बनायी थी। इरफान व इम्तियाज उर्फ कल्लू ने सितान्सू गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता निवासी बाबूगंज बाजार, थाना कुण्डा प्रतापगढ़ से 500 बोरी गेहूँ लाद कर विजय रोलर फ्लोर मिल हैदराबाद पहुँचाने हेतु दि0 20–07–2024 को रात्रि में बाबूगंज कुण्डा से चित्रकूट के रास्ते से निकला था, परन्तु हम लोगों द्वारा पूर्व से सुनियोजित योजना के क्रम में मो0 इरफान व इम्तियाज उर्फ कल्लू बताये हुए रास्ते से हैदराबाद न जाकर 02 दिन तक उक्त ट्रक को मय माल सहित अपने घर कुटिलिया गांव जेठवारा में खड़ा कर दिया और वहीं पर कुछ गेहूँ की बोरियॉ उतार कर रख लिया। हमारे द्वारा योगेष दुबे पुत्र राजकुमार दुबे निवासीग्राम नाहरपुर, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर के बरसठी स्थित गोदाम में लूटे गये माल को छिपाने के लिए किराये पर लिया गया था। कुलदीप सिंह व उसके साथी रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा से बचने के लिए उससे पहले निकले हुए रास्ते से ट्रक का नम्बर प्लेट हटाकर दि0 23–07–2024 को समय करीब 6–7 बजे बरसठी गोदाम पहुँचे। मेरे व बंटी तिवारी उपरोक्त की मदद से कुलदीप सिंह, शमषाद, बृजेष उर्फ पिन्टू शर्मा व इम्तियाज उर्फ कल्लू सभी लोग ट्रक पर लदे हुए गेहूँ की बोरी को उक्त गोदाम पर उतरवाने लगे। हम लोगों द्वारा गोदाम में करीब 350 से 400 गेहूँ की बोरी उतारा ही था कि स्थानीय लोगों के विरोध करने पर शेष बची गेहूँ की बोरी को ट्रक सहित लेकर भाग गये। माल फंस जाने के कारण हम लोगों ने अपने आपको बचाने के लिए फतनपुर प्रतापगढ़ में लूट की झूठी योजना बनायी और योजना के तहत ट्रक चालक/वाहन स्वामी मो0 इरफान ने नींद की गोली का ओवर डोज ले लिया जिससे वह बेहोष हो गया। उक्त घटना की जानकारी होने पर दि0 28–07–2024 को थाना बरसठी, जनपद जौनपुर पर मु0अ0सं0 214/2024 धाराः 3/7 ई0सी0 एक्ट बनाम बंटी तिवारी पंजीकृत हुआ था। उक्त ट्रक में बची हुई गेहूँ की बोरी को कुलदीप सिंह एवं इम्तियाज उर्फ कल्लू, शमषाद व बृजेश उर्फ पिन्टू शर्मा द्वारा अपने पास रख लिया गया, जिसे थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा दि0 31–07–2024 को गेहूँ एवं ट्रक बरामद किया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में पता चला कि हम लोगों के विरूद्ध थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें मेरे बहनोई कुलदीप सिंह एवं उसके मित्र बंटी तिवारी गिरफ्तार हुए थे तथा इम्तियाज उर्फ कल्लू मा0 न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ था, जिसमें से बृजेश उर्फ पिन्टू शर्मा, शमषाद एवं मैं लुकछिप कर रहने लगे और आज कहीं बाहर भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0: 135/2024 धारा 310(2), 317(2), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस मे दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।